भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3360
05 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कालाजार का उन्मूलन

3360. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कालाजार के उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कालाजार के मामलों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाए गए आवश्यक उपचारात्मक कदमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधि वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) रोड मैप के अनुसार, कालाजार (केए) उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 है, तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक का उन्मूलन लक्ष्य निर्धारित किया है। 633 कालाजार स्थानिक ब्लॉकों में से, 625 ब्लॉक (98.7%) ने 2021 तक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में रिपोर्ट किए गए वर्ष-वार, राज्य-वार कालाजार के मामले **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

(घ): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में कालाजार उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) राज्यों को निगरानी, मामला प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण उपायों, प्रकोप प्रबंधन आदि के लिए तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करता है।

ii. सभी चार कालाजार स्थानिक राज्यों में उच्च प्राथमिकता वाले जिलों, ब्लॉकों और गांवों की पहचान की गई है, जहां कार्यक्रम गतिविधियों के 100% कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी की जाती है।

iii. कालाजार की प्रगति एवं चुनौतियों का स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों द्वारा वर्ष 2019 एवं 2021 में आकलन किया गया है।

iv. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 8 जुलाई, 2022 को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कालाजार की स्थिति और 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तत्परता सहित वेक्टर जनित रोगों की समीक्षा की।

v. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत कालाजार प्रभावित गांवों में पक्के मकानों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

vi. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों को कालाजार उन्मूलन यानी इंडोर अवशिष्ट स्प्रे (आईआरएस) परिचालन लागत, दवाओं, निदान, कीटनाशकों, सामग्री और उपकरण आदि के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) के बाद 4000/- रुपये प्रति मामल मजदूरी हानि प्रोत्साहन, और आशा कर्मी को काला-अजार निदान के लिए और पूरा इलाज सुनिश्चित करने के लिए 500/- रुपये प्रति कालाजार मामला प्रोत्साहन भी शामिल है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर रोग उन्मूलन उपलब्धि/जीविका पुरस्कार (राज्य/जिला/ब्लॉक) का प्रावधान किया गया है।

vii. बिहार और झारखंड राज्यों ने कालाजार (केए) के रोगियों को 6600/- रुपए प्रति कालाजार मामले की दर से वेतन हानि प्रोत्साहन का प्रावधान किया है।

(ङ): एनएचएम के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान छह वेक्टर जनित रोगों (कालाजार सहित) के लिए चार कालाजार स्थानिक राज्यों का राज्य-वार केंद्रीय निर्गमन और व्यय **अनुलग्नक-2** में दिया गया है। एनएचएम पूल के तहत आवंटन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलय कर दिया गया है और इसलिए, रोग-वार निर्गमन और व्यय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-1

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में वर्ष-वार, राज्य-वार कालाजार के दर्ज किए गए मामले

राज्य	2019	2020	2021	2022 (जून तक)
बिहार	2537	1502	967	353
झारखंड	544	431	279	98
पश्चिम बंगाल	87	60	59	14
उत्तर प्रदेश	97	55	51	13
अन्य राज्य (केवल छिटपुट)	4	4	1	1

अनुलग्नक-2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत चार कालाजार स्थानिक राज्यों का पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के अंतर्गत छह वेक्टर जनित रोगों (कालाजार सहित) के लिए राज्य-वार केंद्रीय निर्गमन और व्यय

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
		केंद्रीय निर्गमन	व्यय	केंद्रीय निर्गमन	व्यय	केंद्रीय निर्गमन	व्यय
1	बिहार	3.00	84.18	40.23	80.80	5.70	14.68
2	झारखंड	34.82	22.56	17.63	35.32	124.57	146.61
3	उत्तर प्रदेश	27.25	32.27	39.14	40.64	32.20	27.81
4	पश्चिम बंगाल	6.88	14.87	13.71	17.63	12.49	24.02

नोट: व्यय में केंद्रीय निर्गमन, राज्य निर्गमन और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष की तुलना में व्यय शामिल है।व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है। इसे 31.03.2022 तक अद्यतन किया गया है और यह अनंतिम है।

*****